कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

प्रारूप-5
(नियम 9 (7) देखिये)

कॉलोनी विकास की अनुमति

क्रमांक INDDP0320250002 दिनांक / 21/JUL/2025

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) और उसके अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कालोनियों का विकास) नियम)2014 के अधीन एतद् द्वारा ग्राम पानोड तहसील-कनाडिया-जिला-इंदौर में आवासीय भूखण्डीय विकास प्रयोजन हेतु कालोनी विकसित करने की अनुज्ञा दी जाती है:-

श्री/श्रीमती/मेसर्स :- अग्रवाल रियल सिटी प्रालि. तर्फे डायरेक्टर .1. श्री तपन कुमार अग्रवाल पिता श्री विनोद अग्रवाल

2. श्री प्रमोद किशोर श्रीवास्तव पिता श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव,

पता -: ''अग्रवाल हाउस'', 05, यशवंत कालोनी, वायएन. रोड ., इन्दौर(.म.प्र)

कालोनी का नाम :- **"EXOTICA PREMIUM"**

ग्रामपानोड तहसील-कनाडिया जिला-इंदौर स्थित भूमि खसरा नंबर -248/2 रकबा 0.061 हे., 248/3 रकबा 0.261 हे., 249/1 रकबा 0.922 हे., 249/2 रकबा 0.434 हे., 250/2 रकबा 0.784 हे., 250/3 रकबा 1.060 हे., 251/2 रकबा 0.958 हे., 252/2 रकबा 0.156 हे., 256/3 रकबा 0.684 हे., 256/4 रकबा 0.172 हे., 257/1/1 रकबा 0.495 हे., 257/2/1 रकबा 0.257 हे., 264/2/1/1 रकबा 0.443 हे., 264/2/1/3 रकबा 0.498 हे., 248/1/3 रकबा 0.285 हे., 259/1/1/3 रकबा 0.285 हे., 259/1/2/3 रकबा 0.240 हे., 258/2 रकबा 0.754 हे., 258/1/1 रकबा 0.185 हेकुल किता .19 कुल रकबा 8.934 हेमें से पैकी रकबा .87628.14 वर्गमीटर भूमि पर **"EXOTICA PREMIUM"** कालोनी की उच्च स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन उपरांत आवासीय भूखण्डीय प्रयोजन हेतु कालोनी विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए प्रदान की जाती है:-

1- मप्र. भूराजस्व संहिता .1959(20 सन् 1959) संशोधित नियम 2018 के उपबंधो के अधीन भूमि के व्यपवर्तन के लिये लागू शर्तो का अक्षरशः पालन करना होगा।

2- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973(क्रमांक 23 सन् 1973) के अधीन विकास हेतु दी गई अनुज्ञा में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

3- यदि लागू हो तो नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 एवं शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के उपबंधो का पालन करना होगा।

4- संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर के पत्रक्रमांक/ -5435/एसपी.-आई-.32/24/नग्रानि/2024 इन्दौर दिनांक 22/11/2024 के अनुसार विकास/ निर्माण में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षित 47 भूखण्ड एवं निम्न आय समूहों के लिये आरक्षित 25 भूखण्डों को पहली प्राथमिकता नियमानुसार देनी होगी।

5- मप्र. भूमि विकास नियम .2012 में उल्लेखित उपबंधो का पालन करना अनिवार्य होगा।

6- मप्र. राजपत्र., दिनांक 8 अप्रैल 2022 में प्रकाशित मप्र. खनिज (अवैध खनन., परिवहन तथा भण्डारण का निवारणनियम (2022 के नियम 3 (तीनमें उल्लेखित ("शासकीय निर्माण कार्यरहवासी कालोनी/, बहुमंजिला इमारत के विकास में, शासकीय ठेकेदारबिल्डर द्वारा विधिमान्य खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति के बिना गौण खनिज// खनिजों या उसके /उनके उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाएगा" उपबंध का पालन करना अनिवार्य होगा।

7- संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर के पत्रक्रमांक/ -5435/एसपी.-आई-.32/24/नग्रानि/2024 इन्दौर दिनांक 22/11/2024 से अनुमोदित अभिन्यास के आधार पर विकास अनुमति जारी की गई है। विकास अनुमति प्रदाय करने के पश्चात् यदि आपके द्वारा उक्त अभिन्यास में कोई संशोधन नगर तथा ग्राम निवेश से स्वीकृत करवाया जाता है तो उसके लिये पृथक से संशोधित विकास अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

8- विषयांकित भूमि के पश्चिम दिशा में वर्तमान मार्ग स्थित है। जिसे नियोजन की दृष्टि से 75.0 मीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः मार्ग मध्य से दोनों ओर क्रमशः 37.50/37.50 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु भूमि खुली छोड़ना आवश्यक होगा तथा भूमि के पूर्व दिशा की ओर 30.0 मीटर चैडा मार्ग प्रस्तावित है। जिस हेतु 30.0 मीटर भूमि खुली छोड़ना आवश्यक होगा। साथ ही मार्ग एवं मार्ग विस्तार हेतु खुली छोडी गयी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वीकार्य नहीं होगा।

9- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, मप्र. भूमि विकास नियम .2012 एवं मप्र. ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम .2014 के प्रावधानों के अंतर्गत ही विकास एवं निर्माण कार्य मान्य होगा। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर के पत्रक्रमांक/-5435/एसपी.-आई-.32/24/नग्रानि/2024 इन्दौर दिनांक 22/11/2024 से स्वीकृत अभिन्यास एवं विकास अनुमति की शर्तो के विपरीत कार्य किये जाने पर विकास कार्य पूर्णता प्रदाय नही की जावेगी।

10- आवेदक द्वारा प्रस्तुत संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जिला इन्दौर के पत्रक्रमांक/-5435/एस. पीआई--.32/24/नग्रानि/2024 इन्दौर दिनांक 22/11/2024 से अनुमोदित अभिन्यास पूर्व भूमिस्वामियों के नाम से है अतः आपको संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, कार्यालय इन्दौर से स्वयं के नाम पर अभिन्यास अनुमोदित कराकर 6 माह में कार्यालय, कालोनी सेल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विकास अनुज्ञा निरस्त की जा सकेगी।

11- भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 01/09/2009 की अनुसूची की कंडिका 8(कके (अनुसार 20000 वर्ग मीटर या अधिक किन्तु 1500000 वर्ग मीटर से कम भवन एवं संनिर्माण परियोजनाओं में तथा 8(खके अनुसार (50 हेक्टेयर या उससे अधिक औरया /150000 वर्ग

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gaurav Benal
Date: 7/28/2025 6:13:06 PM

मीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र के नगरी और क्षेत्र विकास में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति ली जाना अनिवार्य है। मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ523/2003/32 भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2005 में उल्लेख अनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक एसओ. .801(ईदिनांक (07 जुलाई 2004 के परिपेक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण) अधिनियम), 1986 के प्रावधानों के दायरे में आती है, तो इकाई प्रबंधन कोसंबंधित आवेदक संस्था को नियमानुसार ई.पी.ए. एक्ट// ई.आई.ए. के तहत सक्षम प्राधिकारी यथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार अथवा State Of Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही परियोजना से जुडे किसी भी निर्माण कार्य को प्रारंभ करना आवश्यक व अनिवार्य होगा। योजना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक इन्वायरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भवन अनुज्ञा के पूर्व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से जल एवं वायु सम्मति आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें तथा निर्माण के पूर्व ईआय.ए. क्लीयरेंस करना आवश्यक होगा।.

12-रालामण्डल अभ्यारण की सीमा से 10 किलोमीटर की सीमा तक अर्थात् वर्तमान ईकोसेन्सेटिव झोन में स्थित होने पर माननीय सुप्रीमकोर्ट के ईकोसेन्सेटिव झोन के संबंध में पारित आदेश दिनांक 26.04.2023 के पालन में आवेदित कालोनी का टाउनशीप एण्ड एरिया डेवलपमेंट रकबा 50.00 हेसे अधिक और या बिल्टअप एरिया .150000 वर्गमीटर से अधिक को नेशनल वाईल्ड लाईफ बोर्ड स्टेंडिंग कमिटी/ऑफ नेशनल वाईल्ड वार्ड के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

13- आपके द्वारा भुगतान किये गये कालोनी अनुज्ञा शुल्क एवं अतिरिक्त आश्रय शुल्क की गणना में कोई त्रुटि परिलक्षित होती है तो शेष अंतर की राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूली की जावेगी।

14- नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के स्थल मानचित्र स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त अनुसार वन एवं पर्यावरण द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार पर्यावरण स्वीकृति एवं अन्य उल्लेखित अनुमतियां ली जाना अनिवार्य होगा। अन्य शर्तो का पालन करना होगा।

15-कालोनी का विकास कार्य 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

16- आवेदक को विकास कार्य मप्र. विदुयत वितरण कंपनी/लोक निर्माण. विभागलोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मापदण्डों के अनुसार करना/ अनिवार्य होगा।

17- कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक-1, रविन्द्रनगर ओल्ड पलासिया, इन्दौर के पत्रक्रमांक -927/तशा./.2025-26 इन्दौर, दिनांक 21/04/2025 के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा-

- आवेदित कालोनी के गार्डन क्षेत्र में गार्डन विकसित कराने के अतिरिक्त अन्य कोई भी निर्माण कार्य नही कराया जावेंगा।
- आवेदित कालोनी के स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही सड़क निर्माण कार्य किया जावेंगा।
- सड़क के बगल में वृक्षारोपण, बच्चों के खेल का मैदान 4.5 फिट ऊँची चहारदीवारी के साथ निर्माण कार्य किया जावेंगा।
- अवलोकित कालोनी की बाहर सीमा तक ग्राम की विद्यमान सड़क के बीच नई सड़क पहुँच मार्ग) का निर्माण किया जावें। और कालोनी की बाहरी सीमा को मुख्य) सड़क से जोड़ने वाली विद्यमान सड़क का पुर्ननिर्माण तथा चौड़ीकरण नियमानुसार किया जावें।

18- कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, नर्मदा प्रोजेक्ट परिसर, मूसाखेडी, इन्दौर के पत्रक्रम-ांक 1460/तकका.यं./लो.स्वा.यां.खण्ड//.2025-26 इन्दौर, दिनांक 16.04.2025 के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा-

- आवेदित कालोनी की उच्चस्तरीय टंकी, सम्पवेल एवं एसटी.पी. सर्विस एरिया में ही बनाई जाना अनिवार्य होगा।.
- उच्चस्तरीय टंकी की स्टेयर केस बालकनी तक आरसी.सी. की बनाना एवं स्टेयर केस के दोनो ओर रेलिंग लगाना होगा।.
- इनलेट आउटलेट स्कावर एवं ओवरफ्लो पाईप सी आई. के लगाना होगा एवं पेयजल.स्रोत्र हेतु 3 नलकूप खनन एवं रिचार्ज शॉफ्ट बनाना होगा।
- जल मल के समस्त कार्य-CPHEEO Mannual के साथ कराया जाना अनिवार्य होगा।

19- कार्यपालन यंत्री संचारण/संधारण) म)0प्र0प0क्षे0वि0वि0कं0लि0, जीपी.एच. केम्पस., पोलोग्राउण्ड, इन्दौर के संशोधन पत्रक्रम-ांक 2601/कापायंसं-सं// कार्य/2025-26 इन्दौर, दिनांक 02.05.2025 एवं पत्रक्रम-ांक 3914/कापायंसं-सं/कार्य//2025-26 इन्दौर, दिनांक 30.06.2025 के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा-

- बाह्यविद्युतीकरण के समय यदि तकनीकी साध्यता रिपोर्ट या प्लानिंग मे परिवर्तन होता है अथवा हायराईज बिल्डिंगमल्टी या ओर कोई अन्य प्लानिंग होती है/ म.प्र.वि.प्रदाय सहिता 2022 के अनुसार 1200 किवा से 1500 किवा भार पाए जाने पर नवीन अतिरिक्तअतिभारीत पावर ट्रांसफार्मर प्रस्तावित होगा एवं /1600 किवा या इससे उपर विद्युत भार होने पर की सप्लाय कोड के अनुसार 33/11 केव्ही ग्रिड सबस्टेशन का निर्माण करना आवश्यक होगा। जिसके लिये भूमि उपलब्ध करनी होगी व मप्र.वि.प्रदाय संहिता .2022 की गाइड लाईन अनुसार सभी नियम व शर्ते आवेदक पर मान्य होगें एवं आवेदक को स्वंय की भूमि में उचित खुला स्थान जो कि तो उच्चदाब उपकेन्द्र)33/11 केव्हीहेतु (40 मीटर×50 मीटर कुल 2000 स्कवेयर मीटर भूमि की आवश्यता होगी जिसे आरक्षित किया जाना आवश्यक रहेगा एवं आवेदक को स्वयं के व्यय पर किया जाना होगा।

20- कालोनी विकास पेटे धरोहर के रूप में बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी7आईजीआर17532025ए100493090 इंदौर दिनांक 19.06.2025 से भूखण्ड क्र0 01 से 04 तक, 09 से 13 तक, 16, 20 से 41 तक, 69 से 73 तक, 78 इस प्रकार कुल 38 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 21762.593 वर्गमीटर भूमि बंधक रखे गये है। उक्त भूखण्डो को इस कार्यालय की सक्षम अनुमति के बिना विक्रय नही किया जावेगा।

21- आपके द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथपत्र क्रमांक -4155/25 दिनांक 20.03.2025 के अनुसार आपको निम्नलिखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा-

- आपके द्वारा इन्दौर की विकासशील 2 कालोनियों का शेष निर्माण कार्य विकास अनुमति की नियमित समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
- प्रोजेक्ट के रेरा पंजीयन अनुमति होने तक आपके द्वारा कोई भूखण्ड विक्रय नहीं किया जावेगा एवं ना ही प्रीॅला-च हेतु प्रस्ताव किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gaurav Benal
Date: 7/28/2025 6:13:06 PM

- प्रोजेक्ट के सभी मानचित्रब्रो/शर एवं विज्ञापन में टी0एन0सी0पी0 से प्राप्त लेआउट स्वीकृति क्रमांक-, विकास अनुमति का क्रमांक एवं रेरा का पंजीयन क्रमांक दिया जावेगा।
- इस प्रोजेक्ट के समस्त भूखण्ड का विक्रय रेरा में पंजीकृत एजेंट के माध्यम से ही किया जावेगा।
- आपके द्वारा डायरी पर एवं अन्य किसी भी अवैधानिक दस्तावेज के माध्यम से प्लाट का विक्रय नहीं किया जावेगा।

22- प्रश्नाधीन भूमि से उच्च दाब विद्गुयत लाईन गुजर रही है, मप्र. भूमि विकास नियम .2012 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार विद्गुयत लाईनों से न्यूनतम दूरी छोड़ना आवश्यक होगा तथा विद्गुयत लाईन के नीचे तथा प्रभावित क्षेत्र में किसी भी प्रकार से भवन निर्माणविकास कार्य किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।/

23- आवेदित भूमि के समीपस्थ शासकीय/नाला/नदी/मंदिर/रास्ताचरनोई /एम.पी. हाउसिंग बोर्ड या अन्य मद की भूमि हो तो उस पर किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/ नही किया जा सकेगा। अतिक्रमण किये जाने पर यह अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

24- अनुमति जारी दिनांक के समय किसी न्यायालय में वाद लंबितप्रचलित होने की द/शा में यह अनुमति स्वतः निरस्त हो जावेगी।

25- राज्य शासन द्वारा अधिरोपित नियमो के अधीन एवं समयसमय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्दे-शो एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि आवेदक दी जा रही अनुमति के विपरीत विकास कार्य करता है या उनके द्वारा प्रदत्त दस्तावेजो में कोई अनियमितता पाई जाती है तो उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा सकेगी तथा कालोनी विकास की दी गई अनुमति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

26- संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा एवं भवन अनुज्ञा निर्माण के पूर्व सक्षम प्राधिकारी अधिकारी विभाग से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

27- उपरोक्त कालोनी में सड़क के बगल में वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा एवं 4.5 फीट ऊँची चहारदीवारी के साथ बच्चों के गार्डनखेल मैदान का निर्माण अनिवार्यतः करना/ होगा।

28- कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1901/कासे./.2025 इन्दौर दिनांक 28/05/2025 के अनुसार आवेदित कालोनी में आरक्षित न्यूनतम 10 प्रतिशत सामुदायिक खुले स्थानबगीचे के क्षेत्र में से न्यूनतम /2.50 प्रतिशत क्षेत्रफल पर फलदार अथवा छायादार वृक्षों को लगाना अनिवार्य होगा। कालोनियों में आरक्षित सामुदायिक खुले स्थानबगीचे के/ क्षेत्र में से न्यूनतम 2.50 प्रतिशत क्षेत्रफल पर फलदार अथवा छायादार वृक्षों को नहीं लगाया जाता है तो कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जावेगा एवं गार्डन क्षेत्र में गार्डन विकसित कराने के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जावेगा।

29- मप्र. भूमि विकास नियम .2012 के नियम 18(4) के प्रावधानों के अनुसार निर्मित होने वाले भवनों में शहरी जल प्रदाय प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात् ही भूखण्ड पर जल, विद्गुयत कनेक्शन संबंधी संस्थाओं के द्वारा किया जा सकेगा।

30- कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश क्रमांक 3336/कासे./.2024 इन्दौर दिनांक 13/8/2024 द्वारा भूसम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम-, 2016 की धारा 11 (4) (ड(., मध्यप्रदेश ग्राम पंचायतकालोनियों का विकास)) नियम, 2014 का नियम 18 (2) एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका कालोनी विकास) नियम)2021 के नियम 19 के अनुसार- कालोनाईजर द्वारा कालोनी कोरहवासी कल्याण समिति को अंतरति किया जाना बाध्यकारी होने से, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आबंटित क्षेत्राधिकार में रहवासी कल्याण संघो के पंजीयन एवं नियमन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः आपको आवेदित कालोनी का कार्य पूर्णता प्रमाणपत्-र प्राप्त करने के उपरांत संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से रहवासी कल्याण संघ का गठन कर कालोनी को रहवासी कल्याण समिति को अंतरति किया जाना अनिवार्य होगा।

31- मप्र. शासन श्रम-विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रं..2477/2205/2024/बी-16 भोपाल दिनांक 06.09.2024 एवं कार्यालय कलेक्टर श्रम-विभाग) जिला-इन्दौर के पत्र) क्र. बफा/भसंकमं/उपकर/2024/ 14172-73 इन्दौर दिनांक 08.11.2024 के आलोक में आपको उपरोक्त आदेशानुसार मण्डल की निधि की व्यवस्था हेतु अधिनियम 1996 की धारा-3(1) अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत उपकर की राशि मण्डल की वेबसाईट **https://labour.mp.gov.in/CESS/Public/CessAppliction Registration.aspx** पर आप उक्त राशि संबंधित विभाग में जमा कर रसीद की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

32- ऐसी कालोनियों में जिनमें पहुँच मार्ग शासकीय भूमि पर प्रस्तावित मास्टर प्लान की रोड़ द्वारा दर्शाया गया है के संबंध में, जनसामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश क्रमांक 1986/कासे./.2024 इन्दौर दिनांक 05/06/2024 अनुसार यदि कोई कालोनाईजर शासकीय भूमि पर प्रस्तावित मास्टर प्लान की रोड़ पर निर्माण स्वयं के व्यय से करना चाहता है तो वह अपर कलेक्टर कालोनी सेल जिला इन्दौर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर शासकीय भूमि पर मास्टर प्लान की रोड़ बनानी की अनुमति प्राप्त कर सकेगा। उक्त के तारतम्य में यदि आपकी कालोनी का पहुँच मार्ग शासकीय भूमि पर प्रस्तावित मास्टर प्लान की रोड़ द्वारा तथा आप उसका निर्माण करना चाहते है तो आप उक्त आदेशानुसार अपर कलेक्टर कालोनी सेल जिला इन्दौर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त सड़क का निर्माण कर सकते हैं।

33- आवेदित कालोनी में शॉप कम रेसिडेंसियल हेतु आरक्षित रखे गये भूखण्डों का उपयोग आवासीय सह वाणिज्यिक रखना अनिवार्य होगा तथा उक्त भूखण्डों पर पूर्णतः गैरआवासीय औद्योगिक/वाणिज्यिक) उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त भूखण्डों के विक्रय के समय उक्त शर्त का उल्लेख विक्रय पत्र में किया जाना अनिवार्य होगा।)

34- विकास की अनुज्ञा में उल्लेखित भूमि के स्थल एवं स्वत्व सम्बंधी वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन होने की दशा में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, योजना में समाविष्ट भूमि, आवेदक व्दारा विकास की अनुमति हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों जिसमें कालोनी का रजिस्ट्रेशन, भूमि व व्यपवर्तन की अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश व्दारा स्वीकृत अभिन्यास की सभी शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन होने की दशा में दी गई अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
(सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत)

अपर कलेक्टर,
जिला इंदौर म.प्र.

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gaurav Benal
Date: 7/28/2025 6:13:06 PM

क्रमांक INDDP0320250002 / दिनांक / 21/JUL/2025

प्रतिलिपिः-

1- कलेक्टर, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

3- अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-कनाडिया, जिला-इंदौर की ओर प्रेषित कर लेख है, कि प्रदत्त अनुज्ञा में दी गई शर्तो के पालन के सम्बंध में स्थल निरीक्षण करें एवं विकासकर्ता से पालन करवाना सुनिश्चित करें।

4- तहसीलदार, तहसीलकनाडिया- की ओर प्रेषित कर लेख है कि, आवेदित भूमि के आसपास की शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण निर्माण/संरचना एवं विकास कार्य नही किये जाने संबंधी निरीक्षण व निगरानी समय - समय पर की जावेगी।

5- वरिष्ठ पंजीयक जिला-इंदौर की ओर सूचनार्थ।

6- जिला-पंजीयक इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। बंधकनामा पंजीकरण क्रमांक एमपी7आईजीआर17532025ए100493090 इंदौर दिनांक 19.06.2025 से भूखण्ड क्र0 01 से 04 तक, 09 से 13 तक, 16, 20 से 41 तक, 69 से 73 तक, 78 इस प्रकार कुल 38 भूखण्ड जिनका कुल क्षेत्रफल 21762.593 वर्गमीटर भूमि बंधक रखे गये है। अतः बंधकनामा अनुसार 38 भूखंडो की खरीदी, बिक्री व रजिस्ट्री आगामी आदेश तक बिना सक्षम अनुमति के नही की जावे।

7- सचिव ग्राम पंचायत-पानोड तहसीलकनाडिया-, जिला-इंदौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

8- आवेदक अग्रवाल रियल सिटी प्रालि. तर्फे डायरेक्टर .1. श्री तपन कुमार अग्रवाल पिता श्री विनोद अग्रवाल 2. श्री प्रमोद किशोर श्रीवास्तव पिता श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, पता -: ‘‘अग्रवाल हाउस’’, 05, यशवंत कालोनी, वायएन. रोड ., इन्दौर की ओर पालनार्थ।

अपर कलेक्टर,
जिला इंदौर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Gaurav Benal
Date: 7/28/2025 6:13:06 PM